अध्याय 6
रजिस्ट्रीकरण

धारा 22 : रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति

(1) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक पूर्तिकार, विशेष प्रवर्ग के राज्यों से भिन्न ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए दायी होगा, जहां वह माल व सेवाओं या दोनों की कराधेय पूर्ति करता है, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका सकल आवर्त बीस लाख रुपए से अधिक है :

परन्तु जहां कोई व्यक्ति, विशेष प्रवर्ग के राज्यों में से किसी राज्य से माल या सेवाओं या दोनों की कराधेय पूर्ति करता है, वहां वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका सकल आवर्त दस लाख रुपए से अधिक है।

[1][**परन्तु यह और** कि सरकार विशेष प्रवर्ग के किसी राज्य के अनुरोध पर तथा परिषद् की सिफारिशों पर पहले परंतुक में निर्दिष्ट समय आवर्त को दस लाख रूपए से ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो बीस लाख रूपए से अधिक नहीं होगी और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो इस प्रकार अधिसूचित की जाए।]

[2][**परन्तु यह भी** कि सरकार, राज्य के अनुरोध पर और परिषद् की सिफारिशों पर बीस लाख रुपए के सकल आवर्त को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो किसी ऐसे पूर्तिकार की दशा में, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, चालीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और यह ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो अधिसूचित की जाएं।

स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्य पूर्ति में लगा हैं, यदि वह निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ हैं, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रुप में प्रदर्शित किया जाता है।]

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो, नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन, किसी विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या अनुज्ञप्ति धारण करता है, नियत दिन से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी होगा।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला कारबार, किसी अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में, चाहे उत्तराधिकार या अन्यथा के लेखे अंतरित किया जाता है, वहां, यथास्थिति, अंतरिती या उत्तराधिकारी, ऐसे अंतरण या उत्तराधिकार की तारीख से रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, किसी स्कीम की मंजूरी या समामेलन के लिए ठहराव या उच्च न्यायालय, अधिकरण के आदेश के अनुसरण में या अन्यथा दो या अधिक कंपनियों के निर्विलयन के मामले में अंतरण की दशा में अंतरिती ऐसी तारीख से जिसको उच्च न्यायालय या अधिकरण के ऐसे आदेश का

---

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा परंतुक और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

प्रभाव देते हुए कंपनी रजिस्ट्रार निगमन प्रमाण–पत्र जारी करता है, रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(i) ''सकल आवर्त'' पद में, कराधेय व्यक्ति द्वारा की गई सभी पूर्तियां, चाहे वे उसके अपने लेखे के रूप में या उसके सभी प्रधान व्यक्तियों की ओर से की गई हो, सम्मिलित हैं:

(ii) रजिस्ट्रीकृत जॉब कर्मकार द्वारा जॉब कार्य पूर्ण करने के पश्चात्, माल की पूर्ति, धारा 143 के निर्दिष्ट प्रधान द्वारा माल की पूर्ति मानी जाएगी और ऐसे माल के मूल्य को रजिस्ट्रीकृत जॉब कर्मकार के सकल आवर्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा;

(iii) [3]**[**''विशेष प्रवर्ग राज्य'' पद से जम्मू–कश्मीर राज्य [4]**{**और अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड राज्य**}** के सिवाय संविधान के**]** अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है।

उपयुक्त नियमः नियम 24

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी आरईजी–06, जीएसटी आरईजी–20, जीएसटी आरईजी–25, जीएसटी आरईजी–26, जीएसटी आरईजी–27, जीएसटी आरईजी–28, जीएएसटी आरईजी–29

---

3 केन्द्रीय माल और सेवा कर (जम्मू–कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 (2017 का क्रमांक 26) द्वारा शब्द ''विशेष प्रवर्ग राज्यों'' पद से संविधान के के स्थान पर प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 08.07.2017)।

4 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।